भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *192

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2025 को दिया जाना है

कोयले की तस्करी

***192. श्री वीरेन्द्र सिंहः**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निम्न श्रेणी के कोयले के प्रेषण आदेश पर उच्च श्रेणी के कोयले की आपूर्ति करके भ्रष्टाचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने व्यापारियों पर अभियोजन की कार्यवाही की गई है तथा उनमें से कितने व्यापारियों को जेल भेजा गया है;

(ग) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के साहूपुरी क्षेत्र में फर्जी डीओ के माध्यम से आवंटन के द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की हो रही तस्करी को रोकने का इरादा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कब तक रोक लगने की संभावना है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"कोयले की तस्करी" के संबंध में श्री वीरेन्द्र सिंह द्‌वारा दिनांक 12.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *192 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरणः

(क) : निम्न ग्रेड के कोयले के लिए प्रेषण आदेश (डीओ) पर उच्च ग्रेड के कोयले की आपूर्ति करने से संबंधित भ्रष्टाचार के किसी मामले की मंत्रालय में पुष्टि नहीं हुई है।

(ख) (ग) तथा (घ) : उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*****